कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 467 /[illegible]/11710/UP-068/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 26, 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय– अलीगढ़ में पलवल–टप्पल–अलीगढ़ मार्ग (एस0एच0–22ए) किमी0 चैनेज 62.5 की बायीं पटरी पर ग्राम–अर्राना के खसरा सं0–203 पर विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग का प्रस्ताव।

सन्दर्भ– आपके कार्यालय का पत्रांक–89/14–1, दि0 06.07.15

महोदय,

विषयक प्रस्ताव की हार्ड कापी उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा नवीन ऑनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रवेश, निकासी मार्ग एवं मध्य मार्ग में अलग–2 कितने वृक्ष अवस्थित हैं। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रभागीय निदेशक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में संस्तुति अंकित नहीं की गई है।

3– प्रस्तावित वनभूमि की गणना अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार नहीं की गई है।

4– आप अवगत हैं कि रिटेल आउटलेट के प्रस्तावों में केवल प्रवेश एवं निकासी मार्ग में बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति दी जाती है। पार्ट–2 में 21 वृक्षों का विवरण अंकित किया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रवेश मार्ग एवं निकासी मार्ग में कितने वृक्ष बाधक हैं। इस आशय की स्पष्ट सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न की जाय तथा तदनुसार पार्ट–2 में बाधक वृक्षों का विवरण अंकित किया जाय।

5– वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण–पत्र में पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है।

6– प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मानचित्र अनुमोदित ले–आउट प्लान से मेल नहीं खाती है।

7– प्रस्ताव के साथ संलग्न अनुमोदित ले–आउट प्लान स्पष्ट पठनीय नहीं है।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

2– प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3 नोएडा–201301

26/8/15

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।